

2015/00016

Reader 1

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 08/2015

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री पुरुषोत्तम पिता श्री  
मथुरालाल जी शुक्ला जाति  
ब्राम्हण नि. बडोदिया तहसील  
बागीदौरा

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय-बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ़।
2. तहसीलदार, बागीदौरा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।

उपस्थित  
श्री हीरालाल जैन,

श्री भगवत पुरी,

-अधिवक्ता प्रार्थी

- अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपटित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :- 18-12-2017


मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपटित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 2370 रकबा 0.0017 हैक्टर, सर्वे नम्बर 2385 रकबा 0.0683 हैक्टर कुल खेत 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टर मौजा ग्राम बडोदिया में स्थित है। कदिमाना समय से प्रार्थी व उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त की होकर उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थी के अनन्य कब्जे का है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा ने अपने आदेश / अवार्ड संख्या 11-12 दिनांक 06-06-2014 से पाड़ी से दाहोद सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु किमी 181.900 से 196.800 एवं



भगवती प्रसाद  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा

214.4000 से 224.500 किमी तक में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में अवाई जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवाई में प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रूपया 822250/- प्रति हेक्टर की दर से कुल मुआवजा राशि रू0 57558/- स्वीकृत की गई है। जो प्रतिकर राशि की दर भी बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून निर्धारित किया गया है। उक्त अवाई में प्रार्थी को दी गयी प्रतिकर राशि को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवाई अविधिपूर्ण, मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता है एवं प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा अवाई का पुनः अवधारणा करना चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अवाई पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत अवाई पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कुआ, कच्चा मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्ष मौजूद हैं, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवाई में इनमें से कुछ भी अंकित नहीं किया है एवं कोई राशि नहीं दिलायी गयी है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर मौजूद कच्चे मकान की किमत 100000/- लाख है तथा भूमि पर स्थित लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों की किमत 100000/- है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर स्थित फलों के पेड़ों से प्रार्थी को प्रतिवर्ष 50000/-रू0 की आय होती है। किन्तु उक्त सभी तथ्यों को व परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत अवाई पारित किया है, जो मनमाना व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति- कुआ, कच्चा मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है तथा उक्त मामले में पुनः



  
 भगवत सिंह  
 जिला कलक्टर  
 रायचढ़ा


न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की प्रश्नगत अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :-

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	कृषि भूमि रकबा 0.8 बिस्वा	400000
2	कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां	250000
	योग	650000
3	100% तोषण (सोलेशियम)	650000
	योग	1300000

उक्तानुसार राशि रूपया 13.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जारी अवार्ड संख्या 11-12 दिनांक 06-06-2014 से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 13.00 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिगृहण की गई भूमि के संबंध में अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आधार पर जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी



भगवती प्रसाद  
जिला कलेक्टर  
जहानाबाद


किये गये अवार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 06-06-2014 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में अवार्ड जारी किया गया है, तथा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो म्याद बाहर होने से काबिल गिरस्ती है। प्रार्थी ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह भी मनमाने ढंग से राशि को मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान कर सकता है। इससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बागीदोर द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, चित्तोड़गढ़ के पत्रांक 36 दिनांक 12-04-2016 तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना प01(3)राज-6/211 पार्ट दिनांक 14-06-2016 में दर्शाए गए निर्देशानुसार वादी का संशोधित अवार्ड बना कर पुर्ननिर्धारित मुआवजा राशि स्थानान्तरण हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चित्तोड़गढ़ को अवार्डों की प्रतियां तथा खातेदार वार्डज मुआवजा निर्धारण की सूची भेज दी गई है। राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में स्थानान्तरित होते ही वादी का पुर्ननिर्धारित मुआवजा वादी के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

दिनांक 18-12-2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही




  
 भवानी प्रसाद  
 जिला कलेक्टर  
 चित्तोड़गढ़

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाए। कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की कुलिया राशि 06.50 लाख एवं इस पर 100% तोपण (सालोशियम) की राशि 06.50 लाख कुल राशि रूपया 13.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) वागीदौरा द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में मुआवजा पुर्ननिर्धारण का संशोधित अवार्ड बना कर पुर्ननिर्धारित मुआवजा राशि स्थानान्तरण हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चित्तोडगढ़ को अवार्ड की प्रतियां तथा खातेदार वाईज मुआवजा निर्धारण की सूची भेज दी गई है। राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में स्थानान्तरित होते ही वादी का पुर्ननिर्धारित मुआवजा वादी के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को पुर्ननिर्धारित अवार्ड की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।





भगवती प्रसाद  
निता कलक्टर  
संसाधन

साथ ही जारी किए गए अवार्ड में अधिसूचना की तिथि से नियमानुसार निर्धारित ब्याज राशि की गणना नहीं की गई है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा कृषि भूमि का निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि पर ब्याज की गणना की जाकर अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं 113, चित्तोडगढ (राज.) को निर्देशित किया जाता है कि अवार्ड के आधार पर प्रार्थी को अविलम्ब भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 भूमि अवाप्ति प्रसाद  
 जिला कलेक्टर  
 बांसवाड़ा